छठ महापर्व की तैयारियां तेज

घाटों की रंगाई-पुताई और मरम्मत का काम प्रारंभ



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः आगामी छठ महापर्व के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न छठ कुंडों और घाटों पर तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों की रंगाई-पुताई, साफ-सफाई और आवश्यक मरम्मत के कार्य जारी हैं।

निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार निगम का अमला पर्व से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने में जुटा है। इसके तहत छठ कुंडों और घाटों की रंगाई-पुताई के साथ क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत तथा अन्य आवश्यक सिविल कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। निगम का उद्देश्य पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है, जिससे वे छठ महापर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मना सकें।

बहाउल्लाह और बाब का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया

भोपाल। इंद्रपुरी स्थित बहाई भवन में बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह और उनके अग्रदूत बाब का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मानवजाति के कल्याण, सुख-समृद्धि और विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गईं। कार्यक्रम में सेवा कार्यों से जुड़े युवाओं के परिवारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मानव कल्याण और विश्व शांति की प्रार्थनाओं के साथ हुई। बहाउल्लाह के जन्म से संबंधित विशेष प्रार्थना धर्मवीर नरवरिया ने पढ़ी, जबकि बाब के जन्मदिन से जुड़ी प्रार्थना शुभम निगम ने प्रस्तुत की। इसके बाद बच्चों और किशोरों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गीत, भजन और अन्य प्रस्तुतियां दीं।

मानवता की सेवा का किया आह्वान

कार्यक्रम में शोभित राज ने 'विश्व के पथ प्रदर्शक' नामक चलचित्र के माध्यम से दुनिया भर में बहाई समुदाय की ओर से शांति, एकता और मानव विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय मानवता की सेवा के लिए निकालने और सेवा को आराधना का दर्जा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों और किशोरों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सहभोज के साथ जन्मोत्सव का समापन हुआ। भोपाल के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी अगले दिन जन्मोत्सव मनाया जाएगा।

संपत्तिकर के दो बकायादारों की संपत्ति कुर्क, एक भवन सील



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम द्वारा संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार सहित अन्य करों और शुल्कों की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में करों का भुगतान नहीं करने पर निगम के अमले ने अरेरा कॉलोनी और जिंसी क्षेत्र में दो बकायादारों की संपत्तियों के खिलाफ कुर्की और तालाबंदी की कार्रवाई की।

निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर जोन क्रमांक 10 के अमले ने वार्ड क्रमांक 42 के अंतर्गत जिंसी क्षेत्र में भवन क्रमांक 17ए के मालिक गोविन्दराम ज्ञानचंदानी के खिलाफ कार्रवाई की। उन पर संपत्तिकर और अन्य करों की कुल 10 लाख 58 हजार 588 रुपये की राशि बकाया थी। भुगतान नहीं करने पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत भवन के संपूर्ण हिस्से को अधिग्रहित कर सील कर दिया गया। इसी तरह वार्ड क्रमांक 45 के अंतर्गत अरेरा कॉलोनी ई-1 स्थित भवन क्रमांक 203 के मालिक प्रमोद तामोट पर संपत्तिकर और अन्य करों की 94 हजार 734 रुपये की राशि बकाया थी। भुगतान नहीं करने पर निगम अमले ने भवन की कुर्की की कार्रवाई की।

नगर निगम के अनुसार, दोनों बकायादारों को बकाया करों के भुगतान के लिए विधिवत नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद राशि जमा नहीं करने पर संपत्तियों को कुर्क और सील करने की कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई जोनल अधिकारी शैलेष चौहान, संबंधित वार्ड प्रभारियों और निगम के अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई।

अंगदान से तीन मरीजों को मिला नया जीवन एम्स से बंसल हॉस्पिटल तक बना ग्रीन कॉरिडोर



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शहर के 29 वर्षीय सुमित सोनी ने मृत्यु के बाद भी मानवता की अनूठी मिसाल पेश की। एम्स भोपाल में ब्रेन-डेड घोषित किए जाने के बाद उनके परिजनों ने उनकी दोनों किडनी और लिवर दान करने का निर्णय लिया। इस पुनीत कार्य से तीन जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिला।

सुमित के पिता गणेश प्रसाद सोनी और परिवार के सदस्यों को चिकित्सकों ने ब्रेन-स्टेम डेथ की स्थिति और अंगदान की प्रक्रिया के संबंध में परामर्श दिया। इसके बाद परिवार ने स्वेच्छा से अंगदान की सहमति प्रदान की। दान किए गए अंगों में से एक किडनी और लिवर का प्रत्यारोपण बंसल हॉस्पिटल, भोपाल में किया गया, जबकि दूसरी किडनी एम्स भोपाल में एक मरीज को प्रत्यारोपित की गई। अंगों को निर्धारित समय में सुरक्षित पहुंचाने के लिए बुधवार सुबह 11:49 बजे एम्स भोपाल से बंसल हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके माध्यम से एंबुलेंस महज 15 मिनट में अंगों को अस्पताल पहुंचाने में सफल रही। इस पूरी प्रक्रिया में एम्स भोपाल, बंसल हॉस्पिटल और यातायात व्यवस्था से जुड़ी टीमों के बीच बेहतर समन्वय रहा। सुमित के परिवार का यह निर्णय समाज के लिए प्रेरणादायक है। यह घटना बताती है कि अंगदान के माध्यम से मृत्यु के बाद भी कई लोगों को जीवन की नई उम्मीद दी जा सकती है।

घर के पास टहलता मिला जिला बदर बदमाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः 10 दिन पहले जिला बदर किया गया बदमाश अपने घर के पास ही टहलता मिला। पुलिस ने जिला बदर के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पूर्व से शहर के विभिन्न थानों में 23 अपराध दर्ज हैं।

अरेरा हिल्स थाना पुलिस के मुताबिक खेल छात्रावास के पास भीम नगर में रहने वाला 23 वर्षीय रावेंद्र सेन उर्फ छोटू आदतन अपराधी है। नगरीय पुलिस आयुक्त के न्यायलय द्वारा उसे 28 अक्टूबर को जिला बदर किया गया था।

मंगलवार को पुलिस को मुखबिर से पता चला कि छोटू अपने घर आया हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, तो उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने घेरा बंदी कर उसे हिरासत में ले लिया।

राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ निगम की कार्रवाई न्यू मार्केट में दुकानदारों को दी समझाईश



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को निगम के अमले ने सीएम हेल्पलाइन, महापौर हेल्पलाइन सहित अन्य माध्यमों से मिली शिकायतों और नियमित कार्रवाई के तहत कई क्षेत्रों से अवैध कब्जे हटाए।

इस दौरान अवैध चबूतरे, अस्थायी छप्पर, शेड, किचन गार्डन की जालियां, खंभों पर लगे बोर्ड और आवागमन में बाधक वाहन हटाए गए। फुटपाथों पर लगी सब्जी, कपड़े और फर्नीचर की दुकानों के साथ ठेले, गुमठी, काउंटर, पान पार्लर, टेबल-कुर्सियां और अन्य सामान भी हटाया गया। निगम ने एक छत ठेला, दो लोहे के पलंग और एक फोल्डिंग टेबल जब्त की। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने वल्लभ भवन, न्यू मार्केट, बाणगंगा, रविंद्र भवन, जवाहर चौक, बिट्टन मार्केट, शाहपुरा, कोलार, अरेरा कॉलोनी, होशंगाबाद रोड, जहांगीराबाद, रॉयल मार्केट, करोंद, बैरसिया रोड, अयोध्या नगर, अवधपुरी सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। जवाहर चौक, सरस्वती नगर, गेहूंखेड़ा और अवधपुरी में अवैध चबूतरे हटाए गए। जहांगीराबाद, शब्बन चौराहा, रॉयल मार्केट और भोपाल केयर अस्पताल के सामने बने अस्थायी छप्पर हटाए गए। विश्वकर्मा नगर, कोहेफिजा और जुमेराती में आवागमन में बाधक वाहन हटाए गए। इसके अलावा फुटपाथों और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण भी हटाए गए। न्यू मार्केट के आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों में विशेष दल ने दुकानदारों द्वारा निर्धारित सीमा से बाहर रखा सामान हटवाकर अंदर रखवाया। सड़क और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले हॉकर्स को टीटी नगर हाट बाजार भेजा गया। इस दौरान मुनादी कर दुकानदारों और हॉकर्स को समझाइश भी दी गई।

दीपक एडवरटाइजिंग एजेंसी के 30 वर्ष पूरे नए विजन के साथ करेगी शुरुआत

इंदौर। दीपक एडवरटाइजिंग एजेंसी ने नवंबर 2026 में स्थापना के 30 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर एजेंसी ने नई कार्ययोजना की घोषणा की। सीएमडी दीपक जेठा ने बताया कि अब एजेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और तकनीक के माध्यम से विज्ञापन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाएगी। साथ ही ब्रांड रणनीति, कंटेंट और मीडिया बजट के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए 'क्रिएटर्स अम्ब्रेला वर्टिकल' शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ब्रांड्स को कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स का नेटवर्क मिलेगा। नई सेवाएं 2027 से नए ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध होंगी।

मप्र में अमूल दूध 4 रुपए प्रति लीटर तक महंगा

भोपाल। मध्यप्रदेश में अमूल दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी। अमूल गोल्ड का एक लीटर पैक 70 रुपए से बढ़कर 74 रुपए और अमूल फ्रेश 57 रुपए से बढ़कर 59 रुपए का हो गया है। प्रदेश में रोजाना साढ़े 4 लाख लीटर से अधिक अमूल दूध की खपत होती है।

उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों को चयन प्रक्रिया से बाहर रखने पर विवाद

एपीसी, बीआरसी, और सीएसी पदों पर चयन में समान अवसर देने की मांग

शिक्षक संगठन ने आरटीआई के तहत मांगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश में उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों को राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से आयोजित एपीसी, बीआरसी, बीएसी और सीएसी पदों की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। मध्यप्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन ने इस पर आपत्ति जताते हुए विभाग से स्पष्ट नीति जारी करने की मांग की है।

संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि प्रदेश में कई शिक्षक शासन के नियमानुसार उच्च पदों का प्रभार संभालकर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ऐसे में उन्हें केवल प्रभार के आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर रखना अन्यायपूर्ण है। जब विभाग उनसे उच्च पद के अनुरूप काम ले रहा है, तो चयन में उन्हें अपात्र मानना उचित नहीं है। संगठन ने राज्य शिक्षा केंद्र, के लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार के तहत आवेदन देकर पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इसमें उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में पात्रता, संबंधित विभागीय नियम और अपात्र घोषित करने के वैधानिक आधार की जानकारी शामिल है।

इसके अलावा संगठन ने पूछा है कि वर्ष 2026 की चयन परीक्षा में ऐसे शिक्षकों को किस नियम के तहत अपात्र माना गया। साथ ही, प्रदेश के विभिन्न जिलों में अगस्त 2025 से आवेदन की तारीख तक उच्च पद का प्रभार संभाल रहे कितने शिक्षकों को डीपीसी, बीएसी और सीएसी पदों पर नियुक्तियां दी गईं।

सरयू सरोवर पार्क में छठ पूजा के लिए विकसित किए दो विशेष कुंड



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम द्वारा छठ महापर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में अयोध्या नगर स्थित सरयू सरोवर पार्क में सर्वसुविधायुक्त दो विशेष छठ कुंड विकसित किए गए हैं।

निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार छठ महापर्व के आयोजन को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए शहर के पुराने और परंपरागत छठ कुंडों एवं घाटों की रंगाई-पुताई, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और अन्य आवश्यक सिविल कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 68 के अंतर्गत अयोध्या नगर स्थित सरयू सरोवर पार्क में नए छठ कुंड विकसित किए गए हैं। पहले यहां एक कुंड की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर अब दो कर दिया गया है। इसके अलावा पार्क को भी आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है। नगर निगम के अनुसार, छठ मैया की पूजा के लिए विकसित किए गए इन दोनों कुंडों में पांच हजार से अधिक श्रद्धालु आसानी से छठ पूजा के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। निगम का उद्देश्य पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर बैठक, कमला पार्क घाट पर होंगी विशेष व्यवस्थाएं

नप्र, भोपालः छठ पूजा महापर्व की तैयारियों को लेकर भोजपुरी एकता मंच समिति की बैठक शीतलदास की बगिया और कमला पार्क घाट पर आयोजित की गई।

बैठक में 15 और 16 नवंबर को होने वाले आयोजन की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। संस्था के संरक्षक चेतन सिंह, रामबाबू शर्मा और ज्ञानदेव मिश्रा सहित पदाधिकारियों ने घाट की सफाई, मरम्मत, रंग-रोगन, बिजली, पुलिस व्यवस्था, गोताखोरों की तैनाती, चेंजिंग रूम, पेयजल और चलित शौचालय जैसी सुविधाओं की समीक्षा की।

13 नवंबर से शुरू होगा चार दिवसीय पर्व : भोजपुरी एकता मंच के अध्यक्ष कुंवर प्रसाद ने बताया कि छठ महापर्व 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा। 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को डाला छठ और 16 नवंबर को पारण होगा। ठेकुआ महाप्रसाद बनाने के लिए संस्था की ओर से निःशुल्क आटा चक्की की व्यवस्था की गई है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, कमला पार्क में 13 नवंबर दोपहर 1:30 बजे से 14 नवंबर तक गेहूं की निःशुल्क पिसाई की जाएगी।

दिवाली पर पटाखों से घायल 10 मरीजों का सेवासदन में इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः दीपावली के दौरान आतिशबाजी से आंखों में चोट लगने के बाद सेवासदन नेत्र चिकित्सालय में 10 मरीजों का उपचार किया गया।

अस्पताल के डॉक्टरों ने त्वरित उपचार कर सभी मरीजों की आंखों की रोशनी बचाने में सफलता हासिल की। घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8 और 9 नवंबर की मध्यरात्रि अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की 24 घंटे आकस्मिक नेत्र चिकित्सा सेवा तैनात रही।

त्वरित उपचार पाने वाले मरीजों में सीहोर के 26 वर्षीय उमेश और बैतूल की 17 वर्षीय राधिका की दाहिनी आंख की आपातकालीन सर्जरी की गई। इससे उनकी दृष्टि सुरक्षित की जा सकी। इसके अलावा भोपाल के ज्ञानेंद्र (27), प्रीति (40), सुभाष (21) और पाखी (16), शाजापुर के श्यामाप्रसाद (65) और पलाश (36), सीहोर के पाल जी (31), राजगढ़ के घनश्याम (22), रायसेन की मुस्कान (20) तथा देवास के नन्हेलाल (56) का भी उपचार किया गया। दीपावली के दौरान अस्पताल की विशेष 24 घंटे की आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था के चलते सभी घायलों को समय पर इलाज मिल सका और उनकी आंखों की रोशनी बचाने में मदद मिली।

ऋण गारंटी निधि की अवधि बढ़ने से छोटे उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा : मुख्यमंत्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि की अवधि 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने और 5 हजार करोड़ रुपये का कोष मंजूर करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इससे छोटे उद्योगों की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिपरिया जिला नर्मदापुरम

प्ररूप-ख

(मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, फेबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियम, 2013 के नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

रा.प्र.क्र./0015/अ-82/2025-26 **नर्मदापुरम, दिनांक**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से स्वचालित स्प्रिंकलर/ड्रिप प्रणाली से सिंचाई बावत् पानी परिवहन हेतु ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06 तहसील बनखेडी जिला नर्मदापुरम में कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिपरिया जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

-: अनुसूची :-

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
01	02	03	04	05
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	77/1	0.031
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	77/2	0.029
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	79/1	0.010
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	79/2,79/6	0.023
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	79/4	0.018
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	70/1	0.038
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	103	0.007
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	104	0.020
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	99/1	0.018
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	114/1	0.006
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	113/1	0.045
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	112/1	0.028
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	121/1	0.007
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	122/1/1	0.025
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	123	0.023
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	124	0.004
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	178/2	0.047
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	178/3	0.040
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	179/1	0.016
नर्मदापुरम	वनखेडी	ग्राम सेमखेडा प.ह.नं. 06	180/1	0.018
कुल			20	0.453

(आकिप खान)
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिपरिया, जिला-नर्मदापुरम

G-21286/26

कार्यालय रा.नि.मं- 04 बिलखिरिया तहसील- हुजूर जिला- भोपाल (म.प्र.)
रा.प्र.क.- 1263/अ-12/2025-26
ग्राम का नाम - सेवनिया ऑकारा
प.ह.नं.- 38 तहसील हुजूर जिला- भोपाल

प्रति,
-: सूचना पत्र :-

1. लालचंद सुरेश मनोज पिता आलमचंद केसवानी विद्या नीलू पुत्रियां आलमचंद केसवानी निवासी - डब्लूपी 85 लेक पर्ल गार्डन एयरपोर्ट रोड़ भोपाल मध्यप्रदेश। 2. पीताम्बर केशवानी आत्मज स्व श्री जानीमल केशवानी निवासी बी 31/333 मेन रोड बैरागढ़ भोपाल मध्यप्रदेश। 3. प्रदीप पुनेश मनीषा पुत्र पुत्री ईश्वरदास कमलीबाई पत्नी स्व. ईश्वरदास निवासी-बी 31/333 गिदवानी पार्क के पास मेन रोड बैरागढ़ भोपाल मध्यप्रदेश। 4. नरेन्द्र केशवानी पुत्र स्व जानीमल केशवानी निवासी- बी 31/333 मेन रोड बैरागढ़ भोपाल मध्यप्रदेश। 5. समस्त मेढिया कृषक एवं ग्राम चौकीदार। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नरेन्द्र केशवानी पुत्र स्व जानीमल केशवानी निवासी बी 31/333 मेन रोड बैरागढ़ भोपाल (म.प्र) द्वारा ग्राम सेवनिया ऑकारा प.ह.नं- 38 तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 214, 217 रकबा क्रमशः 0.850 है, 1.970 है. इस प्रकार कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 2.820 है. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 19/11/2026 को समय प्रातः / दोपहर 12:00 बजे से स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपत्ति हो तो, नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित हो। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। आज दिनांक 11/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया। नोट- 1. अपरिहार्य कार्य की वजय से तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा। 2. आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय से दैनिक समाचार पत्र में सूचना पत्र का प्रकाशन कराया जा सकता है। 2. आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय से दैनिक समाचार पत्र में सूचना पत्र का प्रकाशन कराया जा सकता है।

राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं- 04 बिलखिरिया तहसील- हुजूर जिला- भोपाल

3095

कार्यालय रा.नि.मं- 04 बिलखिरिया तहसील- हुजूर जिला- भोपाल (म.प्र.)
रा.प्र.क.- 0483/अ-12/2026-27
ग्राम का नाम - सेवनिया ऑकारा
प.ह.नं.- 38 तहसील हुजूर जिला- भोपाल

प्रति,
-: सूचना पत्र :-

1. लालचंद पिता आलमचंद निवासी बैरागढ़ भोपाल मध्यप्रदेश। 2. कमली बाई पुत्री ठाकुरदास निवासी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश। 3. विनोद यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी 84 अमृत एन्कलेव अयोध्या बायपास रोड़ भोपाल मध्यप्रदेश। 4. सतीश कुमार जैन पुत्र जीवनलाल जैन निवासी 44 गौत बंगलो फेस 5 अयोध्या बायपास रोड़ भोपाल मध्यप्रदेश। 5. हरीश केसवानी आत्मज स्व श्री मूलचंद केसवानी निवासी न्यू बी 31/333 मेन रोड बैरागढ़ भोपाल मध्यप्रदेश। 6. समस्त मेढिया कृषक एवं ग्राम चौकीदार। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री हरीश केसवानी आत्मज स्व श्री मूलचंद केसवानी निवासी- न्यू बी 31/333 मेन रोड बैरागढ़ भोपाल (म.प्र) द्वारा ग्राम सेवनिया ऑकारा प.ह.नं- 38 तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 390, 391, 392 रकबा क्रमशः 1.280 है, 0.540 है, 1.350 है इस प्रकार कुल खसरा नंबर 03 कुल रकबा 3.170 है. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 19/11/2026 को समय प्रातः / दोपहर 1:45 बजे से स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपत्ति हो तो, नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित हो। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। आज दिनांक 11/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया। नोट- 1. अपरिहार्य कार्य की वजय से तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा। 2. आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय से दैनिक समाचार पत्र में सूचना पत्र का प्रकाशन कराया जा सकता है।

राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं- 04 बिलखिरिया तहसील- हुजूर जिला- भोपाल

3094

कार्यालय रा.नि.मं- 04 बिलखिरिया तहसील- हुजूर जिला- भोपाल (म.प्र.)
रा.प्र.क.- 1264/अ-12/2025-26
ग्राम का नाम - सेवनिया ऑकारा
प.ह.नं.- 38 तहसील हुजूर जिला- भोपाल

प्रति,
-: सूचना पत्र :-

1. लालचंद पिता आलमचंद निवासी बैरागढ़ भोपाल मध्यप्रदेश। 2. नरेन्द्र केशवानी पुत्र स्व जानीमल केशवानी निवासी बी 31/333 मेन रोड बैरागढ़ भोपाल मध्यप्रदेश। 3. प्रदीप पुनेश मनीष पुत्र पुत्री ईश्वरदास कमलीबाई पत्नी स्व. ईश्वरदास निवासी-बी 31/333 गिदवानी पार्क के पास मेन रोड बैरागढ़ भोपाल मध्यप्रदेश। 4. संतोष कुमार पुत्र जानीमल, पुष्पादेवी पत्नी जानीमल निवासी बैरागढ़ भोपाल मध्यप्रदेश। 5. पीताम्बर केशवानी आत्मज स्व श्री जानीमल केशवानी निवासी बी 31/333 मेन रोड बैरागढ़ भोपाल मध्यप्रदेश। 6- समस्त मेढिया कृषक एवं ग्राम चौकीदार। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री पीताम्बर केशवानी आत्मज स्व श्री जानीमल केशवानी निवासी बी 31/333 मेन रोड बैरागढ़ भोपाल (म.प्र) द्वारा ग्राम सेवनिया ऑकारा प.ह.नं- 38 तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा नंबर 216 रकबा 1.380 है. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 19/11/2026 को समय प्रातः / दोपहर 1:00 बजे से स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपत्ति हो तो, नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित हो। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। आज दिनांक 11/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
नोट- 1. अपरिहार्य कार्य की वजह से तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा। 2. आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय से दैनिक समाचार पत्र में सूचना पत्र का प्रकाशन कराया जा सकता है।

राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं- 04 बिलखिरिया तहसील- हुजूर जिला- भोपाल

3093